	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1939–मई 18, 2017 *Vaisakha 28, Thursday, Saka 1939-May 18, 2017*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (~~विधायी प्रारूपण~~) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2017

संख्या प. 2 (26) विधि/2/2017:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 31)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 49 का संशोधन.**- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 49 की उप-धारा (9) के विद्यमान खण्ड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(vii) अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण तथा इस निमित्त, राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।")

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नगरपालिका के पूर्ण नियंत्रण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और इस निमित राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, May 18, 2017

No. F. 2 (26) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of (the Rajasthan Nagarpalika Pancham Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 31) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FIFTH AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 31 of 2017)

[Received the assent of the Governor on the 17th day of April, 2017]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Fifth Amendment) Act, 2017.

(2) This Act shall come into force at once.

2. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (vii) of sub-section (9) of section 49 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(vii) subject to the general superintendence and control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf, exercise supervision and control over the officers and servants of the Municipality sub-ordinate to him.".

3. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 332 of the principal Act, for the existing expression "overall control of the Municipality", the expression "overall control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf " shall be substituted.

मनोज कुमार व्यास,
Principal Secretary to the Government.

3
Government Central Press Jaipur.